राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नीमराना(कोटपूतली–बहरोड़)

पीठासीन अधिकारी :– पंकज बडगूजर (आर.ए.एस.)

वाद सख्या	रजू दिनांक	निर्णय दिनांक
376 / 2023	17.08.2023	21.03.2024

उनवान

1. देवा उर्फ कर्मवीर पुत्र राजेन्द्र (नवीरा कलावती पत्नी बोबड)
2. लाली उर्फ सपना पुत्री राजेन्द्र (नवीरी कलावती पत्नी बोबड) जातियान धानक निवासी भोजावास तह0 कनीना जिला महेन्द्रगढ,हरियाणा।

वादीगण

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार साहब नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड़।

प्रतिवादी

दावा अन्तर्गत धारा 88,188 आर0टी0एक्ट
सपठीत धारा 136 राज0 भू0 राजस्व अधिनियम।

उपस्थितः– 1. श्री राधेश्याम यादव अधिवक्ता – वादीगण ।

–::निर्णय::– दिनांक :– 21.03.2024

आज यह पत्रावली पेश हुई। वकील वादीगण उपस्थित आये। वादीगण के वाद का सूक्ष्म वृतान्त निम्न प्रकार से है:–

वादीगण ने वाद पेश कर निवेदन किया कि हाल खसरा नम्बर 285 / 0.68 हैक0 वाके ग्राम शाहजहॉपुर तह0 नीमराना मे स्थित है। जिसमे से प्रत्येक वादीगण हिस्सा 1 / 10 के खातेदार काबिज जायदाद है। उक्त विवादित खसरा नम्बर के वादीगण के पूर्वज अर्थात नानाजी बोबड पुत्र झाहर 1 / 5 भाग का खातेदार काश्तकार थे। जिनके स्वर्गवास होने पर उनकी विरासत का इंतकाल सं0 1278 बहक कलावती पत्नी स्व0 बोबड 1 / 2 भाग तथा देवा पुत्र व लाली पुत्री देवी हिस्सा 1 / 2 दर हिस्सा 1 / 5 के नाम से दर्ज व स्वीकृत हुआ, इस प्रकार से इंतकाल सं0 1278 मे वादीगण का नाम बोलते नाम से देवा तथा लाली दर्ज कर दिया गया जबकि समस्त पहचान के दस्तावेजात मे अर्थात आधार कार्ड, वोटर पहचान पत्र आदि मे वादी सं0 01 देवा का नाम कर्मवीर है तथा वादी सं. 2 लाली का नाम सपना है चूकिं विवादित आराजी ग्राम शाहजहॉपुर मे स्थित है तथा वादीगण के नानाजी भी ग्राम शाहजहॉपुर के स्थाई निवासी थे। जिस कारण उनकी विरासत का इंतकाल सं0 1278 मे वादीगण को भी विरासत मे साकिन देह के नाम से दर्ज कर दिया गया जबकि वादीगण की माताजी व पिताजी ग्राम भोजावास तह0 कनीना के रहने वाले है। इसलिए इंतकाल मे भी हमे साकिन भोजावास तह0 कनीना जिला महेन्द्रगढ,हरियाणा दर्ज करना चाहिए था। हम वादीगण की माताजी की मृत्यु होने के बाद उनकी विरासत का इंतकाल हम वादीगण के नाम से खोला गया उस मे भी हमे साकिन देह दर्ज कर दिया गया। जो उक्त गलत इन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड मे रिपिट होता चला आ रहा है। उक्त गलत इन्द्राज को वादीगण अपने पहचान के दस्तावेजात के आधार पर दुरूस्त कराने के अधिकारी है। ऐसी सूरत मे उक्त विवादित हाल आराजी ख.नं. 285 के राजस्व रिकॉर्ड मे जहा पर वादी सं. 1 देवा पुत्र देवी तथा वादी सं. 2 लाली पुत्री देवी साकिन देह दर्ज है,उसे दुरूस्त किये जा कर उसके स्थान कर्मवीर पुत्र राजेन्द्र या कर्मवीर उर्फ देवा पुत्र राजेन्द्र साकिन भोजावास तह0 कनीना जिला महेन्द्रगढ,हरियाणा व सपना पुत्री राजेन्द्र या सपना उर्फ लाली पुत्री राजेन्द्र साकिन भोजावास तह0 कनीना जिला महेन्द्रगढ,हरियाणा दर्ज करने की प्रार्थना की गई है।

बाद वादीगण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। बाद विधिवत तलबी प्रतिवादी हाजिर अदालत आए एवं बार–बार अवसर दिए जाने उपरान्त भी प्रतिवादी द्वारा जवाब दावा प्रस्तुत नही करने की स्थिति मे उनके जवाब का अवसर समाप्त किया गया।

वादीगण ने अपने दावा के समर्थन मे दस्तावेजी साक्ष्य स्वरूप नकल जमाबंदी संवत 2073–76 प्रदर्श–1, नकल जमाबंदी संवत 2061–64 प्रदर्श–2, नकल जमाबंदी संवत 2069–72 प्रदर्श–3, नकल जमाबंदी संवत 2065–68 प्रदर्श–4, नकल इंतकाल संख्या 1278 प्रदर्श–5, सरपंच ग्राम पंचायत भोजावारा (हरियाणा) के प्रमाण पत्र प्रदर्श–6 व 7 एंव वादीगण के आधार कार्ड व मतदाता पहचान पत्र की छायाप्रतियां पेश की है एंव मौखिक साक्ष्य स्वरूप शपथ पत्र देवा उर्फ कर्मवीर पी0डब्ल्यू0–1, शपथ पत्र महेन्द्र पी0डब्ल्यू0–2, शपथ पत्र सतीश कुमार पी0डब्ल्यू0–3 पेश किये जो शामिल पत्रावली है।

वकील वादीगण की बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील वादीगण ने अपने वाद पत्र के जिम्मनों को दोहराते हुए प्रस्तुत दस्तावेजात प्रदर्श 1 लगायत 7 एवं पहचान के दस्तावेजात की छायाप्रतियों के माध्यम से वादीगण द्वारा अपने वाद पत्र को साबित कर दिये जाने का निवेदन करते हुए वाद वादीगण डिक्री फरमाया जाकर हाल राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त कराये जाने का निवेदन किया।

वकील वादीगण की ध्यानपूर्वक बहस सुनी गई एंव पत्रावली व पत्रावली मे प्रस्तुत दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन उपरांत प्रस्तुत मतदाता पहचान पत्र व आधार कार्ड जिनमे वादी सं. 1 का नाम कर्मवीर पुत्र राजेन्द्र व वादनी सं. 2 का नाम सपना पुत्री राजेन्द्र स्पष्ट जाहिर है साथ ही सरपंच ग्राम भोजावास के द्वारा जारी किता 2 प्रमाणपत्रानुसार कर्मवीर उर्फ देवा पुत्र राजेन्द्र सिंह जाति धानक एंव सपना उर्फ लाली पुत्री राजेन्द्र सिंह जाति धानक अंकित करते हुए स्थाई निवासी होना अंकित किया हुआ है एवं वादीगण द्वारा मौखिक साक्ष्य स्वरूप प्रस्तुत शपथ पत्र पी0डब्ल्यू0 1 लगायत 3 के अवलोकन उपरांत भी देवा व कर्मवीर दोनों एक ही व्यक्ति के नाम होना व लाली व सपना दोनों एक ही व्यक्ति के नाम होना विधित पाये जाने एंव इनके गांव का नाम भी उक्तानुसार प्रस्तुत दस्तावेजात अनुसार भोजावास तह0 कनीना, हरियाणा अंकित होने की स्थिति मे वादीगण के नाम के आगे उर्फ लगाया जाकर गांव के नाम को दुरूस्त किया जाना न्यायसंगत प्रतित होता है। इसलिए वादीगण का वाद न्यायालय की विनम्र राय के मुताबिक डिक्री होने योग्य है।

आदेश

अतः वाद वादीगण स्वीकार योग्य पाये जाने की स्थिति मे हाल आराजी ख.नं. 285/0.68 हैक्टर वाके ग्राम शाहजहॉपुर तहसील नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड के बाबत के वाद को डिक्री किया जाता है एंव हाल राजस्व रिकॉर्ड मे वादीगण के अंकित नाम देवा पुत्र देवी एंव लाली पुत्री देवी जाति धानक सा0देह खातेदार को हजफ किये जाने के आदेश दिये जाते है एवं इनके स्थान पर कर्मवीर उर्फ देवा पुत्र राजेन्द्र जाति धानक साकिन भोजावास तह0 कनीना जिला महेन्द्रगढ़,हरियाणा व सपना उर्फ लाली पुत्री राजेन्द्र जाति धानक साकिन भोजावास तह0 कनीना जिला महेन्द्रगढ़,हरियाणा दर्ज रिकॉर्ड किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्तानुसार ही राजस्व रिकॉर्ड मे अमलदरामद किया जावे। तदानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 21.03.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

21-03-2024

उपखण्ड अधिकारी
नीमराना (कोटपूतली–बहरोड)

(.......)
उपखण्ड अधिकारी नीमराना
जिला कोटपूतली–बहरोड़(राज0)

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नीमराना(कोटपूतली–बहरोड़)

पीठासीन अधिकारी :– पंकज बडगूजर (आर.ए.एस.)

वाद सख्या	रजू दिनांक	पर्चा डिक्री दिनांक
376 / 2023	17.08.2023	21.03.2024

उनवान

1. देवा उर्फ कर्मवीर पुत्र राजेन्द्र (नवीरा कलावती पत्नि बोबड)
2. लाली उर्फ सपना पुत्री राजेन्द्र (नवीरी कलावती पत्नि बोबड) जातियान धानक निवासी भोजावास तह0 कनीना जिला महेन्द्रगढ,हरियाणा।

वादीगण

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार साहब नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड़।

प्रतिवादी

दावा अन्तर्गत धारा 88,188 आर0टी0एक्ट
सपठीत धारा 136 राज0 भू0 राजस्व अधिनियम।

–:पर्चा डिक्री:–

वादीगण की ओर से श्री राधेश्याम यादव अधिवक्ता की उपस्थिति मे इस वाद मे आज तारीख 21.03.2024 को पंकज बडगूजर उपखण्ड अधिकारी नीमराना के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश दिया जाता है ओर डिक्री दी जाती है कि:–

हाल आराजी ख.नं. 285 / 0.68 हैक्टर वाके ग्राम शाहजहॉपुर तहसील नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड के बाबत के वाद को डिक्री किया जाता है एंव हाल राजस्व रिकॉर्ड मे वादीगण के अंकित नाम देवा पुत्र देवी एंव लाली पुत्री देवी जाति धानक सा0देह खातेदार को हजफ किये जाने के आदेश दिये जाते है एवं इनके स्थान पर कर्मवीर उर्फ देवा पुत्र राजेन्द्र जाति धानक साकिन भोजावास तह0 कनीना जिला महेन्द्रगढ़,हरियाणा व सपना उर्फ लाली पुत्री राजेन्द्र जाति धानक साकिन भोजावास तह0 कनीना जिला महेन्द्रगढ़,हरियाणा दर्ज रिकॉर्ड किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्तानुसार ही हाल राजस्व रिकॉर्ड मे अमलदरामद किया जावे।

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेगे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 21.03.2024 को मेरे द्वारा लिखाई जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

21-03-2024

(पंकज बडगूजर)
उपखण्ड अधिकारी
जिला कोटपूतली–बहरोड़(राज0)

उपखण्ड अधिकारी
नीमराना (कोटपूतली–बहरोड़)